

20/07/22

वकील वादी उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उत्तरा उत्तरवादीगठ की तलबी में

विचाराधीन है। उत्तरा दो साल

से तलबी में विचाराधीन है।

वकील वादी को तलबी लुकाट 2

अक्सर देने के बाद भी उनके

द्वारा रिमान प्रश्न नहीं किए गये

हैं एवं ना ही उनके द्वारा तलबी

पूर्ण करवाई जा रही है। इसके स्पष्ट

है कि वादी एवं वकील वादी अपने

पाद के उत्तर जमा नहीं है तथा

व्यापारिक आदेशों की पालना नहीं की

जा रही है।

हेतु: आदेश 09 नियम 5 C.P.C

के तहत वकील वादी एवं वादी अपने

पाद के उत्तर जमा नहीं होने एवं

व्यापारिक आदेशों की पालना नहीं करने

के कारण वादी का पाद जारी कर पर

अंश पालना में धारित किया जाता है।

पत्रावली में सल हुआत होकर दायित्व बनकर

है। आदेशों को व्यापारिक बुनादा जमा